यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रेम ....बनाम.... रघुनाथ मु.नं.– 13/25 किस्म – T.D.	

25.11.25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी सं. 04 की तामील डाक 'लेने से इन्कार' के कारण अप्रार्थी सं. 04 की तामील अवधारणा की जाती है। अप्रार्थी सं. 04 की तलबी जरिये स्पीड पोस्ट डाक कराये एक महिने से अधिक समय हो चुका है। बार-2 आवाज दिलवाई गई। कोई भी उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी सं. 04 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा. पत्र T.I. दिनांक 28.11.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

28.11.25 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19.012.25 को पेश हो।

19.12.25 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16.01.26 को पेश हो।

16.01.26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी सं. 01 लगा 03 की ओर से अभिभाषक श्री नरेश चन्द यादव/मुकेश सिंह राजपूत ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थीगण का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर अहकाम की ... हुए
	प्रेम .... बनाम .... रघुनाथ मु.नं.– 13/25 किस्म – T.D.	
	अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड के साथ नत्थी हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
13/2025	11.02.2025	16.01.2026

बउनवान

1. प्रेम पुत्री रामसहाय पत्नी कैलाश, निवासी नांगल लोटवाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा हाल निवासी ग्राम कनवाडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
2. रूक्मणी पुत्री रामसहाय पत्नी गोपाल मीना, निवासी नांगल लोटवाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा हाल निवासी ग्राम मुण्डिया जाट तहसील वैर जिला भरतपुर।
3. राजेन्द्र पुत्र मोतीराम माता का नाम स्व. रामपति उर्फ मूली, निवासी चक खेरली गुजर तहसील वैर जिला भरतपुर।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. रघुनाथ पुत्र स्व. रामसहाय, निवासी नांगल तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
2. हजारी पुत्र स्व. रामसहाय, निवासी नांगल तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
3. मानसिंह पुत्र स्व. रामसहाय, निवासी नांगल तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
4. मदनमोहन पुत्र रघुनाथ, निवासी नांगल तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
5. अजीत सिंह पुत्र विक्रम, निवासी नांगल तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
6. बच्चू सिंह पुत्र मन्नूराम, निवासी नांगल तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
7. पिंकी पुत्री मन्नूराम, निवासी नांगल तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
8. बीना पुत्री मन्नूराम, निवासी नांगल तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
9. शिवानी पुत्री विक्रम, निवासी नांगल तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
10. विमलेश पत्नी स्व. विक्रम, निवासी नांगल तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
11. रोहिताश पुत्र मन्नूराम, निवासी नांगल तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
12. गेंदी पत्नी मन्नूराम, निवासी नांगल तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
13. मूल्या पुत्र नारायण, निवासी नांगल तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
14. प्यारेलाल पुत्र नारायण, निवासी नांगल तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
15. महेश पुत्र गिर्राज, निवासी नांगल तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
16. सुआलाल पुत्र गिर्राज, निवासी नांगल तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
17. रतनी देवी पत्नी गोपाल, निवासी नौरंगवाडा तहसील महवा जिला दौसा।
18. नहनूराम पुत्र परसादीलाल, निवासी सुनग्याडा की ढाणी लोटवाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
19. कजोडी पत्नी मिश्रीलाल, निवासी नौरंगवाडा तहसील महवा जिला दौसा।
20. नाथूलाल पुत्र मिश्रीलाल, निवासी नौरंगवाडा तहसील महवा जिला दौसा।
21. भजनी पुत्र मिश्रीलाल, निवासी नौरंगवाडा तहसील महवा जिला दौसा।
22. रामगोपाल पुत्र मिश्रीलाल, निवासी नौरंगवाडा तहसील महवा जिला दौसा।
23. रामभरोसी पुत्र मिश्रीलाल, निवासी नौरंगवाडा तहसील महवा जिला दौसा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

24. शिवचरण पुत्र मिश्रीलाल, निवासी नौरंगवाडा तहसील महवा जिला दौसा।
25. प्रेमबाई पुत्री मिश्रीलाल, निवासी नौरंगवाडा तहसील महवा जिला दौसा।
26. रूपन्ती पुत्री मिश्रीलाल, निवासी नौरंगवाडा तहसील महवा जिला दौसा।
27. सजनबाई पुत्री मिश्रीलाल, निवासी नौरंगवाडा तहसील महवा जिला दौसा।
28. शाखा प्रबंधक, यूको बैंक शाखा बडियाल कला, तहसील बैजूपाडा।
29. उपपंजीयक बैजूपाडा, जिला दौसा।
30. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बैजूपाडा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री मुकेश सिंह ।
2. अभिभाषक अप्रार्थीण सं. 1 व 3 – राजूलाल मुराडिया।
3. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 17 – लक्ष्मीनारायण मीना।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की विवादित आराजीयात ग्राम नांगल तहसील बैजूपाडा जिला दौसा के खाता सं. 203 के खसरा सं. 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 277, 284, कुल किता 11 कुल रकबा 2.02 हैक्टे., खाता संख्या 204 के खसरा सं. 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 253, 254, 255, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 278, कुल किता 22 कुल रकबा 5.23 हैक्टे., खाता संख्या 205 के खसरा सं. 282, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 296, कुल किता 9 कुल रकबा 2.41 हैक्टे., खाता संख्या 206 के खसरा सं. 157, 159/2490, 160, 168, 279, 280, 281, 295, 297, कुल किता 9 कुल रकबा 1.58 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 223 का खसरा सं. 273 रकबा 0.45 हैक्टे. स्थित है। उक्त विवादित आराजीयात प्रार्थीगण के पूर्वज बाबा घूडया पुत्र परमा की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि थी जो विरासत में घूडया के दो पुत्र नारायण एवं रामसहाय को प्राप्त हुई थी एवं रामसहाय के विधिक वारिसान में चार पुत्र रघुनाथ, हजारी, मन्नू, मानसिंह एवं तीन पुत्री रामपति उर्फ मूली, रुक्मणी, एवं प्रेम है जिनमे मन्नू एवं रामपति उर्फ मूली की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान उनके हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी 1 लगायत 12 एक ही पूर्वज की सन्तान है जिनके परिवार का सजरा निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

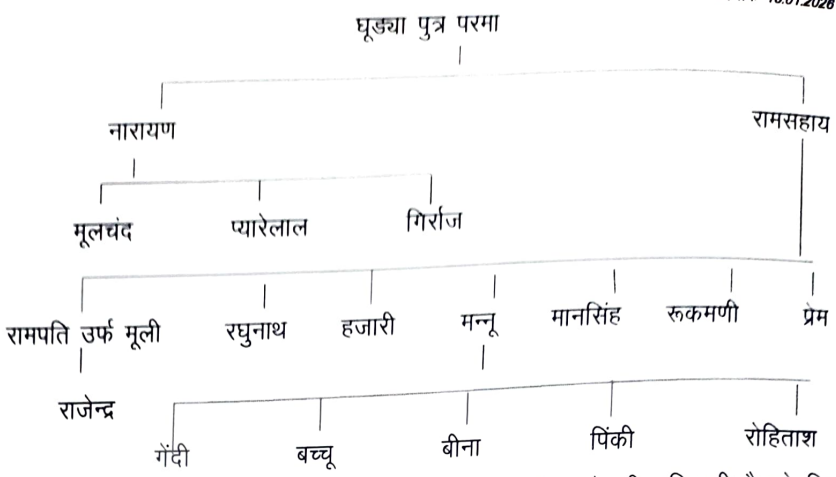

विवादित आराजीयात प्रार्थीगण के पूर्वज घुड्या पुत्र परमा की खातेदारी भूमि रही है जो कि प्रार्थी सं. 1 व 2 के बाबा एवं प्रार्थी संख्या 3 की माँ रामपति उर्फ मूली के बाबा थे। उक्त भूमि विरासत में प्रार्थीगण के पिता रामसहाय को मिली थी एवं रामसहाय की मृत्यु के बाद में विरासत में उक्त भूमि का प्रार्थीगण के नाम नामान्तकरण खुलना चाहिए था लेकिन अप्रार्थी 1 लगायत 12 द्वारा बेईमानी पूर्वक उक्त भूमि में जब रामसहाय की विरासत का नामान्तकरण खुल रहा था, उस समय प्रार्थी 1 व 2 एवं प्रार्थी संख्या 3 की माँ रामपति उर्फ़ मूली का नाम से नही खुलने दिया एवं प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को अप्रार्थीगण स्वयं ही हडपना चाहते है। इसी कारण से उक्त नामान्तकरण के खुलने का प्रार्थीगण को जानकारी नहीं होने दी थी जबकि विवादित आराजीयात प्रार्थीगण की पैतृक भूमि है जिसमे प्रार्थीगण का जन्म से अधिकार है एवं मौके पर प्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है जिससे प्रार्थीगण को अपनी उक्त पैतृक सम्पत्ति भूमि जो अपने पूर्वजो से प्राप्त हुई है, को कानून की मदद से प्राप्त करने का क़ानूनी अधिकार है जिसके लिए प्रार्थीगण को इस प्रार्थना पत्र के साथ वाद पत्र बाबत घोषणा खातेदारी का पेश करना आवश्यक हुआ है। विवादित आराजीयात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजो की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि रही है जो प्रार्थीगण की पैतृक भूमि है जो अचल सम्पत्ति है जिस पर प्रार्थीगण अपने जन्म से अधिकार रखते है एवं मौके पर प्रार्थीगण उक्त भूमि में काबिज कांश्त है एवं अप्रार्थीगण उक्त भूमि को स्वयं अकेले ही हड़प करना चाहते है जिससे प्रार्थीगण के पैतृक अधिकारों का हनन होगा एवं प्रार्थीगण पैतृक सम्पत्ति से वंचित हो जायेंगे। लिहाजा यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना अति आवश्यक हुआ है। दिनांक 25.01.2025 को प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि में बोई गई फसल की देखभाल कर रहे थे कि अप्रार्थी 1 लगायत 12 वहॉ पर अन्य भूमाफिया व्यक्तियों को साथ लेकर आ गये एवं आते ही कहने लगे कि यह पूरी जमीन हमारे नाम खातेदारी में दर्ज है, हमने इस जमीन को इन लोगो को बेचने का सौदा कर लिया है, ये लट्ठ बाज आदमी है। तुमसे अपने आप लट्ठ के जोर से कब्जा कर लेंगे एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि को दिखाने लगे एवं अप्रार्थीगण एवं उनके साथ में आये व्यक्ति प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी देने लगे कि हमने इस जमीन को खरीदने का सौदा कर लिया है। तुम इस बार बोई हुई फसल को नहीं काट सकते एवं राजी खुशी से खेतो से चले जाना अन्यथा हम लट्ठ वाले व्यक्ति है, हम तुमको भगा देंगे। प्रार्थीगण ने बहुत हाथ जोड़े और कहा कि यह हमारी पैतृक सम्पत्ति है जो पूर्वजो से प्राप्त हुई है। तुम हमको इस भूमि से बेदखल मत करो लेकिन अप्रार्थीगण नहीं माने

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

एवं प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी देने लगे कि तुझे राजी खुशी से इस जमीन पर काश्त नहीं करने देंगे एवं हमारे पास बहुत ताकत है व गुंडे लोग है। यदि दुबारा इन खेतों पर आई तो तुमको जीवित नहीं जाने देंगे एवं वादीया के साथ में फौजदारी झगड़ा करने को तैयार हो गये व सभी अप्रार्थीगण ने अपने अवैध हथियार देशी कट्टे व बन्दूक तलवार चाकू निकाल लिए व प्रार्थीगण को मारने के लिए हथियारों को लहराने लगे व ऐलानिया धमकी देने लगे कि इस जमीन में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। इस जमीन पर दुबारा मत आना अन्यथा जान से मार देंगे। इस प्रकार यदि अप्रार्थीगण अपने द्वारा दी गई धमकी में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी एवं प्रार्थीगण अपनी पैतृक सम्पत्ति से वंचित हो जायेंगे। लिहाजा प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र एवं वाद पत्र करना लाजिमी हुआ है। प्रार्थीगण की उक्त विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का जन्म से अधिकार है एवं प्रार्थीगण का उक्त विवादित भूमि पर कब्जा काश्त है जिससे प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला बखूबी साबित है एवं यदि प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। उक्त प्रकरण में यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जबकि अप्रार्थीगण को पाबन्द होने से किसी प्रकार की क्षति होने की सम्भावना नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फ़रमाया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द करें कि वो उक्त विवादित आराजीयात में प्रार्थीगण के उक्त भूमि में फसल काश्त करने में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत मदाखलत पैदा ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य व्यक्तियों से करावें। प्रार्थीगण की अपनी पैतृक भूमि से बेदखल नही करे। उक्त भूमि को दीगर व्यक्त्यिों का रहन बेचान नहीं करे एवं राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 11.02.2025 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण ग्राम नांगल पटवार हल्का लोटवाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित उक्त विवादित आराजीयात भूमि के वर्तमान मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी सं. 2 व 4 लगायत 30 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए इनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद कर दिया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 3 ने न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत सजरा गलत है एवं विवादित आराजीयात पर प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। अप्रार्थीगण ही उक्त खसरे पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं जिसका प्रमाण खसरा गिरदावरी है। यदि प्रार्थीगण का विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त होता तो खसरा गिरदावरी में नाम होता जो नहीं है। सही सजरा निम्नानुसार है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

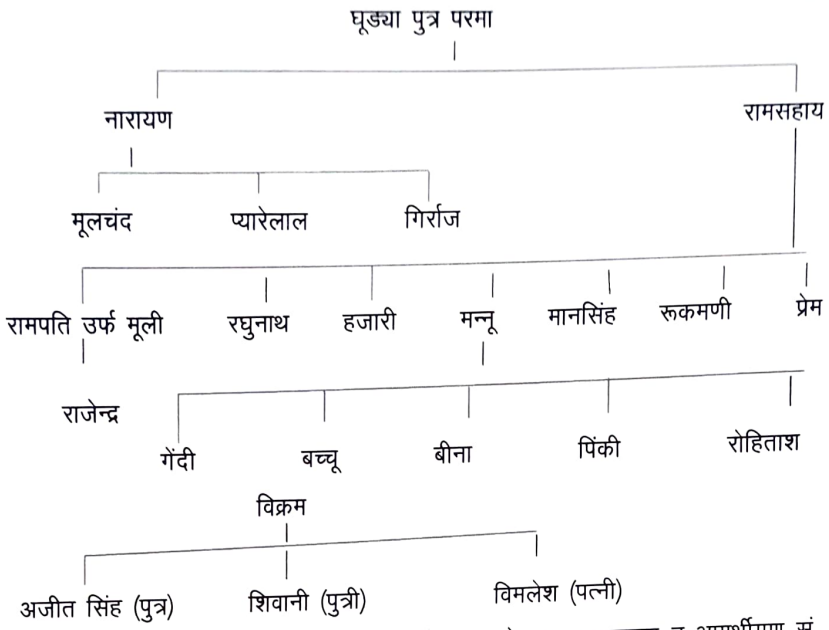

प्रार्थीगण सं. 1 व 2 के पिता रामसहाय व प्रार्थी सं. 3 के नाना रामसहाय व अप्रार्थीगण सं. 1 व 3 के पिता रामसहाय की मृत्यु लगभग 21 वर्ष पूर्व हो गई थी जिसकी विरासत का नामांतकरण गैरसायल सं. 1,2,3 व गैरसायल सं. 5 लगायत 12 के पिता व पति मृतक मन्नू के नाम नामान्तकरण ग्राम पंचायत में आम जनता के समक्ष खुला था। उस समय सायला स. 1 व 2 व गैरसायल सं. 3 की माता रामपति उर्फ मूली मौजूद थी। यदि सायलान को किसी भी प्रकार की आपत्ति थी तो ग्राम पंचायत के समक्ष आपत्ति लगाती जो नहीं लगायी। नामान्तरकरण को खुले लगभग 21 वर्ष होने के बाद झूठा मुकदमा पेश किया है। प्रार्थना पत्र के विवादित आराजीयात पर गैरसायलान कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। सायलान का उक्त आराजी पर कभी कब्जा रहा ही नहीं। यदि उक्त आराजी पर कब्जा काश्त होता तो सायलान खसरा गिरदावरी पेश करती सायलान को गैरसायलान ने भात–जामने भरे है. विवाह किया जिसमें काफी रूपये दिये एवं गैरसायलान वार–त्योहार पर बुलाते है जिसमें काफी विदा देते है, हर प्रोग्राम व फंक्शन में बुलाते है और मान सम्मान करते चले आ रहे है। गैरसायल की एक बहिन रामपति उर्फ मूली काफी उम्र पाकर मृत्यु हो गई लेकिन उसने अपने जीवनकाल में कोई आपत्ति एवं दावा पेश नहीं किया लेकिन गैरसायल सं. 1 व 2 का सगा भाई गैरसायल सं. 2 हजारी के मन में हमेशा से बदयान्ती रही है। गैरसायल सं. 2 ने सायलान को अपने बहकावे में ले रखा है जो आये दिन सायलान को भडकाता रहता है। गैरसायल सं. 2 ने सायलान से दुरभि संधि कर रखी है। गैरसायल सं. 2 जमीन के हडपने के उद्देश्य से गैरसायल सं. 1 व 2 अन्य हिस्सेदारों की जमीन सायलान के नाम कराकर बाद में सायलान से अपने नाम करा लेगा क्योंकि जमीनों का भाव बहुत बढ़ गये है। इसलिए दावा खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र के विवादित आराजीयात में वर्णित आराजी का नामान्तरकरण खुलते समय ग्राम पंचायत में सायला सं. 1 व 2 व गैरसायल सं. 3 की माता रामपति और गैरसायलान मौजूद थे। प्रार्थना पत्र के विवादित आराजीयात में वर्णित आराजी का नामान्तकरण खुले लगभग 21 वर्ष हो गये। तभी से गैरसायलान कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। सायलान का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त रहा ही नहीं है। सायलान को

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

गैरसायल सं. 3 से दुरभि संधि कर गैरसायल सं. 1 व 3 अन्य भाईयों की जमीन को हडपना चाहते है। गैरसायल 2 बेईमानी प्रवृति का व्यक्ति है जो आये दिन झगडा करता रहता है जिसने गैरसायल 1 व 2 के खिलाफ न्यायालय में झूठा मुकदमा कर रखा है जिसका उनवानी मुकदमा हजारी बनाम मानसिंह वगै. है, इसलिए मुकदमा खारिज होने योग्य है। विवादित आराजीयात पर सायलान का कोई कब्जा रहा ही नहीं। यदि किसी भी प्रकार का कब्जा होता या कोई फसल करता तो उसका इन्द्राज खसरा गिरदावरी में होता। इसलिए दावा व प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। सुविधा का संतुलन गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। सायलान को कोई हानि किसी प्रकार की नहीं है जबकि गैरसायलान को अकथनीय हानि होगी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जबाव प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

4. पत्रावली प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के अनुसार, विवादित आराजीयात के प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है जबकि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र घोषणा खातेदारी, तकास्मा तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण विवादित आराजीयात में पैतृक भूमि होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहते हैं जिसका निर्धारण वादपत्र में साक्ष्य उपरांत गुणावगुण पर किया जाना संभव हो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज.

सकेगा। इसलिए इस स्तर पर प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है। विवादित आराजीयात पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी किये जाने से अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा तथा अप्रार्थीगण को भारी असुविधा होगी। इस कारण सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति सिद्धांत की प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है।

आदेश

6. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर ग्राम नांगल, पटवार हल्का लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खाता सं. 203 के खसरा सं. 144 लगायत 152, 277 284 कुल किता 11 कुल रकबा 2.02 हैक्टे. खाता संख्या 204 के खसरा सं. 158, 159, 161 लगायत 167, 253, 254, 255, 260 लगायत 267, 269, 278 कुल किता 22 कुल रकबा 5.23 हैक्टे., खाता संख्या 205 के खसरा सं. 282, 283, 285 लगायत 290, 296 कुल किता 9 कुल रकबा 2.41 हैक्टे., खाता संख्या 206 के खसरा सं. 157, 159/2490, 160, 168, 279, 280, 281, 295, 297 कुल किता 9 कुल रकबा 1.58 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 223 का खसरा सं. 273 के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 11.02.2025 के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 16.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)